कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

संदर्भ: APEDA-AP/7/2026-MA
दिनांक:13.02.2026

संशोधन आदेश

विषय: "एकीकृत एबेटॉयर-सह-मांस प्रसंस्करण संयंत्र/मांस प्रसंस्करण संयंत्र/एबेटॉयर को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया" के खंड 4.11 में संशोधन के संबंध में।

यह एपीडा की दिनांक 17.07.2021 की "एकीकृत एबेटॉयर-सह-मांस प्रसंस्करण संयंत्र/मांस प्रसंस्करण संयंत्र/एबेटॉयर को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया" के संदर्भ में है। खंड 4.11 के अनुसार, "यादृच्छिक रूप से चयनित संयंत्रों या जिनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, ऐसे कम से कम 5% एकीकृत एबेटॉयर-सह-मांस प्रसंस्करण संयंत्रों और मांस प्रसंस्करण इकाइयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा।"

"एकीकृत एबेटॉयर-सह-मांस प्रसंस्करण संयंत्र/मांस प्रसंस्करण संयंत्र/एबेटॉयर को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया" के खंड 4.11 में आंशिक संशोधन करते हुए, औचक निरीक्षण से संबंधित प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

संशोधित खंड 4.11:
"पंजीकृत मांस प्रतिष्ठानों के संचालन पर निगरानी को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, यादृच्छिक रूप से चयनित या जिनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, ऐसे कम से कम 15% प्रतिवर्ष एकीकृत एबेटॉयर-सह-मांस प्रसंस्करण संयंत्रों और मांस प्रसंस्करण इकाइयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा।
औचक निरीक्षण करने हेतु कम से कम दो सदस्यों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा।"

यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। "एकीकृत एबेटॉयर-सह-मांस प्रसंस्करण संयंत्र/मांस प्रसंस्करण संयंत्र/एबेटॉयर को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया" के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

डॉ. सुधांशु

सचिव